31.05.22 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीया अजखुद उपस्थित। अपील ग्रहणार्थ बहस सुनी गई।

अपीलार्थीया ने बहस में बतलाया कि अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी सं.2 सगे भाई बहन है तथा गोरधनसिंह राठौड़ हमारे पिता जी थे। प्रत्यर्थी संख्या एक (श्रीमती मधु राठौड़) गोरधन सिंह राठौड़ की पुत्रवधु

Signature Not Verified

Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:08:25 IST
Reason: SelfAttested

फदे अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अपील अधिकरण (वरिष्ठ नागरिक) जोधपुर

मुकाम

राजकुमारी बनाम श्रीमती मधु राठौड़

किस्म मुकदमा माता पिता भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 सन् 04/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.05.22	6। गोरधनसिंह जी ने अपने जीवनकाल में अपनी जायदाद प्रत्यर्थीया-एक के पक्ष में दिनांक 22.04.2016 एवं दिनांक 27-05-2016 को दो बख्शीशनामा निष्पादित किया तथा कुछ समय तक प्रत्यर्थी-1 व 2 ने सेवा चाकरी की, परन्तु उसके पश्चात प्रत्यर्थीपक्ष ने गोरधनसिंह जी की सेवा चाकरी करना बंद कर दिया। बहस में आगे कहा कि अपीलार्थीया के पिता गोरधनसिंह ने प्रत्यर्थीपक्ष के पक्ष में किये उक्त दोनों बख्शीशनामों को निरस्त कराने हेतु माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहते [illegible] के पिता गोरधनसिंह [illegible] हो गया जिस पर अपीलार्थीया [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O.22 R.3 C.P.C. बाबत गोरधनसिंह के विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लेने का पेश किया गया, परन्तु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:08:25 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	04/2022
31/05/22	अधीनस्थ अधिकरण ने प्रार्थना पत्र O22 R3 CPC का निस्तारण किये बिना ही मूल प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया। बहस में यह भी कहा कि विवादग्रस्त जायदाद में अपीलार्थीया का हित प्रभावित होने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई अतः अपील ग्रहण कर सुनवाई की जाय।
	हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिनियम, 2007 का अध्ययन किया। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 16(1) के अनुसार- Any senior citizen or a parent, as the case may be, aggrieved by an order of Tribunal may, within sixty days from the date of order, prefer an appeal to the Appellate Tribunal; स्पष्ट किया गया है।
	उपरोक्त प्रावधान के अनुसार धारा 16(1) के तहत वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक ही कर सकते हैं अतः अपीलार्थी धारा 16(1) के तहत अपील नहीं कर सकती है, परिणामस्वरूप अपील ग्रहण योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:08:25 IST
Reason: SelfAttested